



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक 01.10.2026

जनपद-आजमगढ़

शंभूपुर घटना को जातिगत विवाद और तनाव बताने वाली भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट का आजमगढ़ पुलिस ने किया खंडन-

□ शंभूपुर घटना में जातिगत विवाद का तथ्य नहीं आया सामने, विपरीत परिस्थितियों में भी संबंधित तीनों परिवारों ने एक-दूसरे के दुःख में शामिल होकर दिखाई मानवीय संवेदना।

□ भ्रामक एवं तथ्यहीन बातें सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित करने वाले X अकाउंट के विरुद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 330/2026, धारा 353(1)(ग) बीएनएस एवं 66(C) आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत, आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित।

➡ □ दिनांक 22.09.2026 को थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शंभूपुर गहजी में घटित गंभीर घटना के संबंध में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कुछ व्यक्तियों द्वारा घटना को “ठाकुर बनाम ब्राह्मण” विवाद के रूप में प्रस्तुत करते हुए भ्रामक एवं तथ्यहीन दावे प्रसारित किए जा रहे हैं।

➡ □ प्रकरण की वास्तविक स्थिति यह है कि अब तक की पुलिस जांच एवं उपलब्ध तथ्यों के अनुसार घटना का संबंध घर में चल रहे पूजा-पाठ के चौथे दिन उत्पन्न विवाद से है। विवाद के उपरान्त अभियुक्त अरविंद सिंह द्वारा अपनी पत्नी एवं पूजा कराने आए दो पुरोहितों के ऊपर फायरिंग की गई। अभियुक्त की पत्नी द्वारा दोनों पुरोहितों को बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मानसिक रूप से उग्र अभियुक्त द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त की पत्नी व दोनों पुरोहितों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

इसके बाद अभियुक्त ने अपने 03 बच्चों के साथ अपने को घर के एक कमरे में बंद कर लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त अरविंद से लगभग 07 घंटे दरवाजा खोलने के संबंध में बातचीत एवं समझाने का प्रयास करती रही। इसी बीच अभियुक्त द्वारा अपने एक बच्चे शौर्य को गोली मारी गई। बच्चों की जान बचाने के खातिर तत्पश्चात पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में अभियुक्त अरविंद घायल हो गया। अभियुक्त व उसके बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया किन्तु उनकी मृत्यु हो गई।

➡ □ यह स्पष्ट किया जाता है कि अब तक की पुलिस जांच में उक्त घटना के जातिगत संघर्ष से संबंधित होने का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। उपलब्ध तथ्यों एवं परिवारजनों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर अभियुक्त को छोड़कर संबंधित तीनों परिवारों के मध्य किसी प्रकार का जातिगत विवाद अथवा पूर्व शिकायत सामने नहीं आई है। इसके विपरीत, घटना के बाद उत्पन्न विषम परिस्थितियों में भी संबंधित परिवारों द्वारा एक-दूसरे के दुःख में शामिल होकर मानवीय संवेदना का परिचय दिया जा रहा है।

➡ □ गाँव, आस - पास के लोगों व तीनों परिवारों के रिश्तदारों द्वारा बार-बार परिवारों के सौहार्दपूर्ण संबंधों के बारे में बताया गया है। साथ ही आज भी तीनों परिवार एक दूसरे से संवेदना प्रकट करते हैं।

➡ □ अतः सोशल मीडिया पर घटना को जातिगत संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करने वाले दावे वास्तविक घटना एवं पुलिस जांच के तथ्यों से मेल नहीं खाते और जनमानस में भ्रम, तनाव और वैमनस्य उत्पन्न करने वाले हैं।

➡ □ प्रकरण से संबंधित सभी पहलुओं की निष्पक्ष एवं विधिसम्मत जांच की जा रही है। उक्त भ्रामक एवं तथ्यहीन पोस्ट को X पर प्रसारित करने वाले X आईडी @Wale.....70737 के विरुद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 330/2026, धारा 353(1)(ग) बीएनएस एवं 66(C) आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡ □ साथ ही, घटना के संबंध में भ्रामक एवं तथ्यहीन सामग्री प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट/ पोस्ट की निगरानी की जा रही है। साथ ही समाज में जाति/वर्ग के आधार पर नफरत/ तनाव फैलाने वाले तत्वों को आगाह किया जाता है कि तथ्यों के विपरीत भ्रामक अथवा भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर जनमानस में भ्रम अथवा वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

□ आजमगढ़ पुलिस की आमजन से अपील है कि घटना के संबंध में अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट/दावों पर विश्वास न करें। केवल आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर ही भरोसा करें। आपसी भाईचारा और सौहार्द से ही सुरक्षित समाज संभव है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक 01.10.2026, जनपद-आजमगढ़

- थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं गर्भपात कराने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- दोनों प्रकरणों में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर की गयी आवश्यक विधिक कार्यवाही

01. थाना कप्तानगंज-

दिनांक 26.09.2026 को थाना कप्तानगंज क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी करीब 17 वर्षीय पुत्री के घर से बिना बताए चले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-294/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम शुभम पुत्र सभाजीत, निवासी खालिसपुर नई बस्ती, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

मुकदमे की विवेचना के क्रम में दिनांक 30.09.2026 को उ0नि0 राजमणि भारती मय हमराह द्वारा मुकदमे में वांछित अभियुक्त शुभम कुमार पुत्र सभाजीत, निवासी खालिसपुर नई बस्ती, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को गौरा पुलिस से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

02. थाना रानी की सराय-

दिनांक 30.09.2026 को थाना रानी की सराय क्षेत्र निवासी एक युवती द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा दवा खिलाकर गर्भपात कराया गया। शादी की बात कहने पर गाली-गलौज करते हुए शादी से इंकार कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-268/2026 धारा 69/89/352 बीएनएस बनाम विपिन यादव पुत्र अजय यादव, निवासी ग्राम मैनपारपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

मुकदमे की विवेचना के क्रम में दिनांक 01.10.2026 को उ0नि0 प्रिंस विनायक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमे में वांछित अभियुक्त विपिन यादव पुत्र अजय यादव, निवासी ग्राम मैनपारपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को कोटिला कट से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा आरोपों से इंकार करते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात कही गयी। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक 01.10.2026, जनपद-आजमगढ़

- तीनों प्रकरणों में 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का मोबाइल एवं आभूषण सहित अन्य सामान बरामद
- थाना बरदह पुलिस द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा चोरी के मोबाइल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा गृहभेदन कर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

01. थाना बरदह-

दिनांक 10.09.2026 को वादी द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि उसका भाई मोटरसाइकिल से राजागंज बाजार जा रहा था। राजागंज बाजार से चौकी गांव के मध्य सुनसान स्थान पर पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा उसे रोककर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से लोहे की पाइप से सिर पर प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचायी गयी। इस सम्बन्ध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0-302/2026 धारा 109(1)/352/351(3)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आने पर धारा 3(5)/324(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

दिनांक 01.10.2026 को उ0नि0 रितेश खरवार मय हमराह द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त साहिल पुत्र राजनाथ, निवासी ग्राम कुम्भ, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को बादिल बाबा स्थान, बहद ग्राम चौकी से समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद लकड़ी का डण्डा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02. थाना मेंहनगर-

दिनांक 07.09.2026 को वादी की दुकान से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन चोरी किये जाने के सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पर

मु0अ0सं0-338/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त विजय सरोज पुत्र राजनाथ सरोज, निवासी हटवा आईमा, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 01.10.2026 को उ0नि0 मयंक नारायण सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त विजय सरोज को देवरिया गेट से देवरिया/राजधरपुर जाने वाले मार्ग से समय करीब 11.26 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का एक अदद वीवो कम्पनी का मोबाइल बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया।

03. थाना जीयनपुर-

दिनांक 30.09/01.10.2026 की रात्रि में थाना जीयनपुर क्षेत्र स्थित एक मकान में अज्ञात चोर द्वारा सीढ़ी की टीन शेड हटाकर घर में प्रवेश कर बक्से व अटैची का ताला तोड़कर जेवरात, घड़ियां, रुपये व अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-0397/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 अवधनाथ यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त मो0 सैफ पुत्र मो0 रज्जाक, निवासी समुन्द्रपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को बक्खोपुर से सगड़ी की तरफ आने वाले नहर मार्ग से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 05 अदद गिलेट का हार, 01 अदद माथ बेंदी, 06 जोड़ी गिलेट के कान के झुमके, 06 अदद हाथ घड़ी, जिसमें 04 लेडिज एवं 02 जेन्ट्स घड़ी, 01 अदद मेकर फिक्सर नेचुरल एवं 01 अदद एफ एण्ड एम परफ्यूम बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

अपराधिक इतिहास-

मो0 सैफ पुत्र मो0 रज्जाक के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत हैं—

1. मु0अ0सं0-517/2024 धारा 125बी/281/324(4) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-0081/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-0139/2026 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-0183/2026 धारा 324(4)/351(3) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0-0189/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0-0012/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0-0397/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. एक अदद लकड़ी का डण्डा।
2. एक अदद वीवो कम्पनी का चोरी का मोबाइल।
3. 05 अदद गिलेट का हार, 01 अदद माथ बेंदी, 06 जोड़ी गिलेट के कान के झुमके, 06 अदद हाथ घड़ी, 01 अदद मेकर फिक्सर नेचुरल एवं 01 अदद एफ एण्ड एम परफ्यूम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना बरदह- उ0नि0 रितेश खरवार, का0 विद्याकान्त, का0 मो0 आरिफ

थाना मेंहनगर- उ0नि0 मयंक नारायण सिंह, का0 दीपक यादव, का0 हरेराम

थाना जीयनपुर- उ0नि0 अवधनाथ यादव, का0 सौरभ कुमार पाण्डेय, का0 संजय कुमार वर्मा, का0 प्रदीप गुप्ता

तीनों प्रकरणों में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।